

## मन की उड़ान संस्थान, डूंगरपुर (राज0)

### संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : मन की उड़ान संस्थान, डूंगरपुर
2. पंजीकृत कार्यालय व कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय जिला डूंगरपुर में रहेगा तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त डूंगरपुर जिला राजस्थान राज्य रहेगा।
3. संस्था के उद्देश्य :-

इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

#### 1. शिक्षा :-

##### (1) शिक्षा

- (अ) महिलाओं एवं बालिका शिक्षा के लिए जन चेतना जागृत करना विकलांग व मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा से जोड़ना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
- (ब) प्रारम्भिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर तक शिक्षा हेतु विद्यालय का संचालन करना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
- (स) विद्यालय हेतु भूमि व्यवस्था, भवन निर्माण एवं इनके संचालन हेतु व्यवस्था करना एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ जुटाना।
- (द) शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (य) अध्ययनरत छात्रों को विषय वस्तु का उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु केन्द्रों का संचालन करना एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना।
- (र) तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।
- (ल) शिक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास के कार्यक्रम व प्रशिक्षण आयोजित करना।

##### (2) उद्योग :-

- (अ) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करवाना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
- (ब) रोजगार गारण्टी योजना अन्तर्गत कार्य करने वाले महिलाओं/पुरुष को कार्यस्थल पर जाने हेतु सरकारी सहायता से बस सेवा उपलब्ध कराना।
- (स) क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को लघु उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना। समय-समय पर नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
- (द) ग्रामीण महिलाओं व नवयुवकों को ग्राम स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए लघु उद्योगों का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करवाना एवं उत्पादित सामान के विपणन की व्यवस्था करवाना।

Ramna  
Chauhan  
अध्यक्ष

सचिव

अंकिता शर्मा  
कोषाध्यक्ष



- (य) लघु उद्योगों की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना एवं सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।
- (र) ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों को वन सम्पदा के उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान करना जैसे :- पत्तल दोनें, रस्सी बुनाई, बांस की वस्तुओं का निर्माण आदि इस हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना एवं सहयोग प्रदान करना।

3. चिकित्सा संबंधी :-

- (अ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने में सक्रिय हिस्सा लेकर इनका प्रचार प्रसार कर नागरिकों को जागरूक बनाना व प्रेरित करना।
- (ब) सफाई, स्वच्छता व प्रदूषण के संबंध में जनचेतना विकसित करना। गरीबों, रोगियों को निःशुल्क पौष्टिक आहार (भोजन) एवं वस्त्र, दवाईयों उपलब्ध कराना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
- (स) एड्स, टी.बी., हेपेटाइटिस एवं अन्य वायरल जनित जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु शिविरों का आयोजन।
- (द) समय-समय पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों, स्वास्थ्य परामर्श शिविरों आदि का आयोजन करवाना।
- (य) मौसमी बीमारियों, बचाव एवं प्राकृतिक उपचार हेतु जन साधारण को उपायों से अवगत करवाना।
- (र) विकलांग व मंदबुद्धि बालकों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

4. सामाजिक उद्देश्य :-

- (अ) बाल श्रमिक एवं बंधुआ मजदूरों की प्रथा का अन्त करने में सक्रिय प्रयास करना एवं इन्हें शिक्षा से जोड़ना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
- (ब) परित्यक्त विधवा एवं जरूरतमंद महिलाओं को विभिन्न उद्योगों जैसे-सिलाई, कढ़ाई, हैण्डीक्राफ्ट आदि में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- (स) महिलाओं में अल्प बचत की जागृति लाना एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (द) क्षेत्र में शराब एवं नशे से प्रभावित लोगों को उचित सलाह प्रदान करना एवं इसे रोकने के प्रभावी प्रयास करना।
- (य) धूम्रपान एवं तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक कर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (र) शिशु कल्याण केन्द्र, बाल सुधार गृह आदि का संचालन करना एवं व्यवस्था करना।
- (ल) विभिन्न सामाजिक कुरितियों के प्रति जनचेतना अभियान चलाना।

*Dama Chakrabarti*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
आंकिता शाह  
कोषाध्यक्ष



5. धार्मिक :-
- (अ) धर्मशालाओं, शास्त्री शालाओं का निर्माण करवाना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
  - (ब) विभिन्न धार्मिक आयोजनों पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु व्यवस्था करवाना।
  - (स) लोगों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना जागृत करना।
6. गौ पालन एवं पर्यावरण संबंधी :-
- (अ) क्षेत्र में गौ वंश के प्रति जागृति लाना। उनका पालन-पोषण करना एवं पशुधन के लिए चारागाह एवं बंजर भूमि का विकास करना। पहाड़ी क्षेत्रों, समतल सड़को के किनारें, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण करना एवं इसके लिए संसाधन जुटाना।
  - (ब) डेयरी उद्योग के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं इस व्यवसाय से आम जन को जोड़कर लाभ पहुंचाना।
  - (स) वाटर शेड के कार्यक्रमों का संचालन करना। भू-संरक्षण क्षेत्रों एवं बंजर भूमि क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
  - (द) ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को जुटाना, निर्धुम चूल्हों, बायो गैस (गोबर गैस) एवं सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।
  - (य) वनविभाग के क्षेत्राधिकार की भूमि को गोद लेकर पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधे लगवाना एवं उनका संरक्षण करना।
  - (र) देशी गायों के पालन हेतु प्रोत्साहित करना।
7. निर्माण संबंधी :-
- (अ) ग्राम एवं मोहल्ले के विकास हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य करना। जैसे कूप निर्माण, सभा भवन, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, विद्यालयों हेतु कक्षा-कक्ष का निर्माण, स्वच्छता हेतु स्वच्छ शौचालय निर्माण आदि समस्त प्रकार के निर्माण संबंधी कार्यों की क्रियान्विति करवाना इस हेतु राज्य/केन्द्र सरकार से आवश्यक सहायता प्राप्त करना।
  - (ब) क्षेत्र में सिंचाई हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना। इस हेतु चेकडेम का निर्माण, एनिकट निर्माण आदि का निर्माण करना।
  - (स) आधुनिक सिंचाई पद्धति, फव्वारा, सिंचाई लिफ्ट से सिंचाई आदि योजनाओं की क्रियान्विति करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना और ऋण दिलाने में सहयोग करना।
  - (स) ग्राम एवं मोहल्ले को स्वच्छ व आदर्श ग्राम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करवाना, चौपाल की व्यवस्था करना, सभा-भवन बनवाना आदि समस्त निर्माण कार्यों को करना इस हेतु सरकारी सहायता प्राप्त करना।

*Pamno Chubisa*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष





(घ) ग्राम एवं मोहल्ले को आदर्श ग्राम एवं मोहल्ला बनाने हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार आदि से प्रदत्त समस्त प्रकार की सहायता/अनुदान प्राप्त करना एवं विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशी प्राप्त करना।

8. कृषि :-

- (अ) क्षेत्र में किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति की जानकारी प्रदान करना। उन्नत किस्म के बीजों का वितरण व समय-समय पर कृषि की देखभाल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) वृभी कम्पोस्ट, जैविक व हरित खाद के उपयोग हेतु प्रेरित करना एवं खाद निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना एवं इसके लिये संसाधन जुटाना।
- (स) गोबर की खाद का निर्माण करवाना एवं गरीब किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाना।
- (द) रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव की लोगों को जानकारी देना व उनका उपयोग रोकना।
- (य) औषधीय पौधों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण देना एवं शिविरों का आयोजन करना। इस हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली समस्त सुविधाओं से लाभान्वित करवाना।
- (र) क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य के लिये बगीचों हेतु भूमि आवंटन करा बगीचों का निर्माण कराना।

9. साहित्य सृजन :-

- (अ) साहित्य के क्षेत्र में इतिहास को प्राप्त कर उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना।
- (ब) काव्य/उपन्यास आदि के लेखन में रूचि रखने वालों को सहयोग प्रदान करना एवं उनके द्वारा लिखित उपन्यासों/काव्यों को प्रकाशित करवाना।
- (स) समय-समय पर क्षेत्र में काव्य गोष्ठियों का आयोजन करना। जिसमें कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, शायरों आदि को आमन्त्रित कर साहित्य के विकास में योगदान प्रदान करना।
- (द) संस्था के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करना।
- (य) नवोदित रचनाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु उचित मंच उपलब्ध कराना एवं उनके द्वारा रचित रचनाओं को उचित मार्गदर्श। प्रदान कर प्रकाशित करवाना।
- (र) काव्यकारों/रचनाकारों द्वारा रचित काव्यों/रचनाओं का प्रकाशन करना एवं उन्हें समुचित ढंग से प्रचारित कराना।

10. जनजाति (ST/SC) विकास हेतु :-

- (अ) अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र के बालक-बालिकाओं के शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु चल विद्यालय एवं आवासीय विद्यालयों की स्थापना तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना।
- (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को राज्य/केन्द्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। पढ़ने हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करवाना।

*Kamna*  
*Chauhan*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
अंकिता शाह  
कोषाध्यक्ष



- (स) अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सायंकालीन विद्यालयों का संचालन करना, स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाना।
- (द) अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए आवास, पानी आदि की व्यवस्था करना। सरकारी सहायता प्राप्त कर आवासों का निर्माण करवाना आदि।
- (य) क्षेत्र के पुरुषों का बाहर पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाना एवं आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।
- (र) उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की व्यवस्था करना।
- (ल) कृषि की आधुनिक एवं उन्नत तकनीक से अवगत कराना एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (व) बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों को संचालन करना एवं आवश्यक पोषाहार टीकाकरण आदि कार्यों का संचालन करना।
- (ह) अकाल मृत्यु, विधवा आदि को राज्य/केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशी दिलवाने में सहयोग करना एवं प रिवार को आवश्यक रोजगार आदि उपलब्ध करवाने में मदद करना।
- (ष) उपरोक्त उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु सभी संभावित माध्यमों से आवश्यक संसाधन जुटाना।

11. जन सेवा :-

- (अ) सरकारी/अर्द्धसरकारी/सहकारी एवं निजी क्षेत्र में संविदा के आधार पर कर्मचारियों की मांग पर प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार हेतु नियुक्ति दिलाना।
- (ब) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों यथा चुम्बक चिकित्सा, होम्योपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा/आयुर्वेद चिकित्सा/योग चिकित्सा/एक्युप्रेसर, एक्युपंचर चिकित्सा एवं प्राकृतिक/परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों का प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं संस्थाओं का संचालन करना।
- (स) विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना जैसे-पोलियो, करेक्शन शल्य चिकित्सा, नैत्र चिकित्सा आदि।
- (द) एड्स, टी.बी., कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों के प्रति आम जन में जागृति लाना आदि।
- (य) विभिन्न प्रकार के टीकाकरण हेतु शिविरों का आयोजन करना जैसे-शिशु टीकाकरण, गर्भस्थ महिला टीकाकरण, हेपेटाईटिस टीकाकरण आदि।
- (र) पशु चिकित्सा हेतु विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण शिविर लगाना आदि।

*Panna*  
*Chaubisa*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष





12. तकनीकी प्रशिक्षण :-

कम्प्युटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर :-

- (अ) तकनीकी के क्षेत्र में आधुनिक कम्प्युटर शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान के कारण कम्प्युटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर का प्रशिक्षण कोर्स चलाना।
- (ब) कम्प्युटर के विभिन्न भागों का सूक्ष्म प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (स) विभिन्न हार्डवेयरों व साफ्टवेयरों के गुण एवं कार्यक्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करना।

मोबाईल सर्विस :-

- (अ) मोबाईल टेलिफोन उपकरण का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) हैंडसेट का तकनीकी प्रशिक्षण एवं उसमें सुधारात्मक प्रणाली का अध्ययन कराना।
- (स) हैंडसेट में सुधार हेतु सूक्ष्म प्रशिक्षण प्रदान करना।

वायर मैन :-

- (अ) घरेलु एवं वाणिज्यिक उपयोग में आने वाली बिजली की फिटिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) उपकरण के लोड आधारित विद्युत लाईनों को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान।
- (स) बड़ी मशीनरी आदि चलाने के लिए पेनल बोर्ड, स्वीच बोर्ड आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (द) घरेलु उपयोग में आने वाले उपकरणों एवं उपयोगकर्ता की सुरक्षा हेतु वायरिंग का प्रशिक्षण एवं सुरक्षात्मक स्विचों को लगाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।

मोटर रिवाइण्डिंग :-

- (अ) मोटर रिवाइण्डिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) मोटरों की क्षमता के अनुरूप मोटर बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (स) सबमर्सिबल मोटरों (ऑयल/पानी) बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (द) ऑटोमेटिक मोटरों, पंखों की मोटरों, पंप मोटरों आदि को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (य) वाहनों की आर्मिचर मोटर बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।

रेफ्रिजरेशन, ए.सी. व कुलिंग प्रशिक्षण :-

- (अ) घरेलु उपयोग में आने वाली ए.सी., फ्रिज आदि के रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) ए.सी. फ्रिज के कम्प्रेसर बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (स) बड़ी इमारतों में लगने वाले सेन्टर ए.सी. को लगाने का एवं उसकी फिटिंग के कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (द) कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में काम आने वाले ए.सी. मशीनों, कुलिंग मशीनों के रख-रखाव एवं दुरस्ती कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करना।

*Camna*  
*Chauhan*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष



जनरल इलेक्ट्रिक कोर्स :-

- (अ) जनरल इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे मिक्सर, पंखें, ग्राइण्डर, वाशिंग मशीन, कुलर, गीजर, इमरजेन्सी लाईटों का रखरखाव एवं अन्य मोटर आदि बनाने का कार्य।
- (ब) सिलाई मशीन की मोटर आदि के रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करना।

मोटर ड्राइविंग :-

- (अ) हल्के वोटर वाहन जैसे कार, जीप, वेन आदि चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) हल्के वाहनों के रखरखाव सामान्य मरम्मत आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना।

रेडियों, टी.वी. मेकेनिक :-

- (अ) रेडियों, टेप के रखरखाव एवं उनके महत्वपूर्ण भागों का सूक्ष्म अध्ययन कराना।
- (ब) विभिन्न उपकरणों के माध्यम से खराबी को दूर करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (स) टी.वी. के विभिन्न भागों का अध्ययन कराना।
- (द) टी.वी. को सुधारने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (य) मनोरंजन के साधन वी.सी.डी., डी.वी.डी. आदि को सुधारने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

इलेक्ट्रिशियन :-

- (अ) पेनल बोर्ड संबंधित कार्य का प्रशिक्षण।
- (ब) थ्री फेज संबंधी विविध कार्यों का प्रशिक्षण।
- (स) रिले संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण।

टेलरिंग :-

- (अ) रोजगारोन्मुखी कार्य हेतु टेलरिंग कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) विभिन्न टेलरिंग की पद्धतियों का प्रशिक्षण देना।
- (स) फेंशन टेलरिंग की पद्धतियों का प्रशिक्षण देना।

जल संरक्षण :-

- (अ) प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना।
- (ब) प्राकृतिक/कृत्रिम जल स्रोतों का रख रखाव सुरक्षा एवं संरक्षण करना।
- (स) नये जलाशयों का निर्माण करना।

प्लंबर :-

- (अ) घरेलु नल फिटिंग संबंधी कोर्स करवाना।
- (ब) आधुनिक नल संबंधी उपकरणों के रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (स) सेनेट्री फिटिंग एवं ड्रेनेज फिटिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (द) बड़ी पाईप लाईनों को बिछाने, जोड़ने एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (य) हैण्डपम्पों को दुरस्त करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।

*Ramra Choukha*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष



महिलाओं के स्वालम्बन हेतु प्रशिक्षण :-

1. ब्युटी पार्लर
- (अ) महिलाओं में सौन्दर्य निखार हेतु आवश्यक विभिन्न विविध विधियों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों को उपयोग में लेने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (स) सौन्दर्य प्रसाधन हेतु मानव की त्वचा संबंधी जानकारी प्रदान करना।
- (द) सौन्दर्य प्रसाधन हेतु प्राकृतिक एवं घरेलु उपायों की जानकारी प्रदान करना।
- (य) समय-समय पर ब्युटी पार्लर संचालन के लिए विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान करने हेतु शिविर आयोजित करना।
- (र) वालों के सौन्दर्य हेतु विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करवाना।

मेंहंदी प्रशिक्षण :-

- (अ) श्रृंगार उपयोग हेतु मेहन्दी लगाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) मेहन्दी लगाने से पूर्व तैयार करने के विविध पहलुओं का प्रशिक्षण।
- (स) मेहन्दी द्वारा वालों के सौन्दर्य एवं देखभाल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (द) मेहन्दी के चिकित्सकीय उपयोग की जानकारियाँ प्रदान करना।

साज-सज्जा :-

- (अ) घर को सुन्दर बनाये रखने संबंधी जानकारी प्रदान करना।
- (ब) विभिन्न शुभ अवसरों पर प्रदान किये जाने वाले उपहारों को अवसरों के अनुरूप सजाना।
- (स) वैवाहिक अवसरों लिए विभिन्न सजावटों का प्रशिक्षण प्रदान करना।

गृह उद्योग :-

- (अ) महिलाओं को घरेलु उद्योगों संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) फल एवं उनसे बनने वाले विभिन्न उत्पादों के संरक्षण का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (स) स्वरोजगार हेतु पापड़ निर्माण आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (द) महिला विकास हेतु स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
- (य) महिलाओं में बढ़ती रोजगार के प्रति जिज्ञासा के कारण उनके बच्चों को उचित पालन हेतु शिशु पालन केन्द्रों का संचालन करना।

अन्य प्रशिक्षण :-

- (अ) महिलाओं को विभिन्न हॉबीज का प्रशिक्षण प्रदान करना जैसे-पेंटिंग कार्य, साफ्ट टॉयज निर्माण, क्राफ्ट आर्ट, कशिदाकारी सिलाई प्रशिक्षण आदि विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ब) महिला में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर अल्प बचत के लिए प्रेरित करना एवं स्वालम्बन हेतु ऋण आदि उपलब्ध कराना आदि।

*Omna Chauhan*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
कोषाध्यक्ष





4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
01	कामना चौबीसा हेमेश कुमार चौबीसा	गृहिणी	4/180, त्रिमाजीनगर, इंटरपुर	अध्यक्ष	<u>Camna Chaubisa</u>
02	रेनु चौबीसा श्यामरवरुप चौबीसा	गृहिणी	जय हिन्द नगर, न्यू कॉलोनी, इंटरपुर	सचिव	<u>रेनु</u>
03	देशना वखारिया संजय वखारिया	गृहिणी	न्यू कॉलोनी, गांधी भाद्रम कैपीडो, इंटरपुर	आध्यक्ष	<u>Desha</u>
04	अंकिता शाह वलिनकांत उपाध्याय	शिक्षिका	आदर्श नगर, न्यू सिक रोड, इंटरपुर	कोषाध्यक्ष	<u>अंकिता शाह</u>
05	मोहसीना बानो ताज मोहम्मद	शिक्षिका	खैरवाडा, उदयपुर	सदस्य	<u>Mohsina</u>
06	संगीता साद	गृहिणी	मुकाम पोस्ट, कनवा, इंटरपुर	सदस्य	<u>संगीता साद</u>
07	हर्षिता श्रीमाली	शिक्षिका	श्रीनिवा - चौक, इंटरपुर	सदस्य	<u>हर्षिता</u>
08					
09					

Camna  
Chaubisa  
अध्यक्ष

रेनु  
सचिव

अंकिता शाह  
कोषाध्यक्ष



5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
01	कामना-चौबीसा हेमेश्वर कुमार-चौबीसा	गृहिणी	4/180, शिसाजी नगर, इंटरपुर	Damna Chaubisa
02	रेनु-चौबीसा श्यामस्वरूप-चौबीसा	गृहिणी	जय हिन्द नगर, न्यू कॉलोनी, इंटरपुर	Renu
03	देशना पवारिया	गृहिणी	न्यू कॉलोनी, गौंधी आश्रम के पीछे, इंटरपुर	Desha
04	अंकिता शाह	शिक्षिका	आदर्श नगर, न्यू लिंक रोड, इंटरपुर	अंकिता शाह
05	मौहसीना खानो	शिक्षिका	खैरवाड़ा, उदयपुर	Mohsina
06	संगीता साद	गृहिणी	मुकाम पोस्ट, कनवा, इंटरपुर	संगीता साद
07	इर्षिता श्रीमाली	शिक्षिका	श्रीमिया चौक, इंटरपुर	इर्षिता
08	जमना भावसार	गृहिणी	आजाद नगर, इंटरपुर	जमना भावसार
09	लक्ष्मी जैन	गृहिणी	हाडिंग रोड, इंटरपुर	Laxmi Jain
10				
11				
12				
13				
14				
15				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

*(सोपना मालवी)*  
Sopna Malvi

Damna  
Chaubisa  
अध्यक्ष

*(जगदीश प्रसाद)*  
Jagdish Prasad  
पुष्पानि नगर प्लॉट नं. 412  
इंटरपुर

*(अंकिता शाह)*  
अंकिता शाह  
सचिव

*(अंकिता शाह)*  
अंकिता शाह  
कोषाध्यक्ष





## बैंक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 24.12.2020 को प्रातः 11.00 बजे सामाजिक क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं में जनसहभागिता सुनिश्चित हेतु स्वयं सेवी संस्था का गठन करने के उद्देश्य से बैंक का आयोजन जय हिन्द नगर, डूंगरपुर में किया गया। बैंक में निम्नांकित की उपस्थिति रही जिसमें सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

- 1) आम जानकारी हेतु संस्था का नाम 'मन की उड़ान संस्थान' रखे जाने का निर्णय लिया गया।
- 2) संस्था के सफल संचालन के लिए निम्न पदाधिकारियों का बैंक में चयन किया गया।

- अध्यक्ष - कामना चौबीसा  
उपाध्यक्ष - देवाना वखारिया  
सचिव - रेनु चौबीसा  
कोषाध्यक्ष - अंकिता शाह  
सदस्यगण - मोहसीना वानो  
रीना श्रीमाल  
संगीता साद  
हार्पिता श्रीमाली  
जयश्री श्रीमाली  
स्पर्ना श्रीमाली  
सपना श्रीमाली

- 3) संस्था के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता खोलने का निर्णय लिया गया। बैंक खाते का संचालन संस्था के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा।

- 4) प्रति 2 माह में तथा साधारण बैंक वर्ष में 1 बार कार्यकारिणी की प्रशासनिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आवश्यकता की स्थिति में अध्यक्ष विशेष बैठक माहूत कर सकेंगे।



- 5) संस्था के लेनदेन व पत्र व्यवहार आदिको के व्यवसायों से किये जायेंगे। वैसायुक्त एवं लेखों का संभाषण कोषाध्यक्ष द्वारा तथा संस्था के सामान्य रिपोर्ट संवारित करने, बैंक आरूत करने, बैंक कार्याधी का अंकन करने इत्यादि कार्य संस्था के सचिव द्वारा किये जायेंगे।
- 6) अन्त में बैंक कार्याधी उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाई गई जिरफा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया जाकर बैंक सचयनाद समाप्त की गई।

<u>शेखर</u> सचिव	<u>अंकिता शाह</u> कोषाध्यक्ष	<u>Prerna Chandra</u> आध्यक्ष
(रेनु चौबीसा)	(अंकिता शाह)	(कामना चौबीसा)

सदस्यगण -

देशना तखारिया	<u>Desha</u>
मीरसीना बानो	<u>Mirsa</u>
रीना प्रीमाल	<u>Rina</u>
शंगीता साद	शंगीता साद
हर्षिता प्रीमाली	<u>Harshita</u>
जयश्री प्रीमाली	जयश्री
अर्चना प्रीमाली	अर्चना
सपना प्रीमाली	सपना





# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

FIFTY  
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

शपथ पत्र

AN 687025

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था मन की उद्यान संस्थान, डूंगरपुर (राज) के अध्यक्ष के रूप में घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था मन की उद्यान संस्थान, डूंगरपुर (राज) के पंजीयन हेतु कुल 9 आवेदक सदस्य हैं।
  2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई पंजीयन नहीं है आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
  3. प्रस्तावित संस्थान की विधान नियमावली की बिन्दु संख्या 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में आते हैं। के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लान निहित नहीं होगा।
  4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1998 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लान निहित नहीं होगा।
  5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियों, व्यक्तिगत लान अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लान सदस्यों में वितरण होगा।
- प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी। तथा न ही इसने किसी प्रस्तावक सदस्य का निहित स्वार्थपूर्ण लान निहित होगा।
- यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्यों की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्था डूंगरपुर का पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
- अधिसूच्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरित कार्य की जानकारी प्रकरण में आने पर रजिस्ट्रार संस्था डूंगरपुर को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

*Bama Choubis*  
अध्यक्ष

*Asrar*  
मंत्री/सचिव  
सत्यापन

*अशोक शर्मा*  
कोषाध्यक्ष

हम उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या एक से आठ के तथ्य हमारी जानकारी से सही है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरित कोई जानकारी प्रकरण में आने पर रजिस्ट्रार संस्था डूंगरपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

*Bama Choubis*  
अध्यक्ष

*Asrar*  
मंत्री/सचिव

*अशोक शर्मा*  
कोषाध्यक्ष

All the contents of this affidavit admitted  
Before me & Sworn hence attested

ASRAR AHMAD KHAN ADVOCATE  
Notary Distt. Dungarpur  
Rajasthan INDIA

# कार्यालय नगरपरिषद डूंगरपुर (राज०)

क्रमांक:- सामान्य/नपडू/2020/ 2869

दिनांक :-30.12.2020

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मन की उडान 'संस्थान' डूंगरपुर (राज०) द्वारा प्रस्तुत आवेदन व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर नगरपरिषद क्षेत्र में मन की उडान 'संस्थान' डूंगरपुर का सहकारिता विभाग में पंजीयन करवाते हैं तो नगरपरिषद डूंगरपुर को कोई आपत्ति नहीं है।

अशुभ  
नगरपरिषद डूंगरपुर (राज०)

